न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला=अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 9/2015

उनवान

1. मु. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व0 श्री घासीजी जाति जाचक निवासी चांद की होटल पीली खान लोहाखान अजमेर
2. मु. बरजी पुत्री स्व0 श्री घासीजी जाति जाचक निवासी चांद की होटल पीली खान लोहाखान अजमेर
3. मु. छोटी पुत्री श्री धासीजी जाति जाचक निवासी गुर्जर की थडी सोडाला जयपुर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. बीरमा पुत्र स्व0 श्री घासी जी निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर
2. हनुमान पुत्र स्व0 श्री घासी जी निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर
3. सीताराम पुत्र श्री घासी मृतक जरिये वारिसान :–

3/1 गीता बेवा सीताराम

3/2 पूनम उर्फ अजय पुत्र सीताराम

3/3 दिशा पुत्री सीताराम

3/4 निशा पुत्री सीताराम नाबालिक जरिये संरक्षिका व माता गीता

समस्त निवासी पुत्र स्व0 श्री घासी जी निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 27.12.1997

आदेश

दिनांक :– 10.12.2019

Scanned by CamScanner

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहागल की खेवट खतोनी संख्या 32, 37 के खसरा नम्बर 1282, 1366, 1365, 1376, 1494, 1496 के खातेदार अपीलार्थीगण के पिता स्व0 श्री घासी पुत्र श्री नाथाजी कौम जाचक थे। साबिक खसरा नंबरान के हाल खसरा नंबरान 1282, 1366, 1375 व 1376 बने। स्व0 श्री घासीजी की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत लोहागल द्वारा नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 27.12.1997 को तस्दीक किया गया । इस नामान्तकरण में अनुमान, सीताराम, बीरमा पिसरान घीसा व मु. गलाब देवी बेवा घीसा का ही नाम दर्ज किया गया और अपीलार्थीगण का नाम बावजूद स्व0 श्री घीसा की पुत्रीया होने के बादभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया । उपरोक्त आदेश प्राकृतिक न्यास के सिद्वान्तो के विपरीत है। नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 27.12.1997 की जानकारी सर्व प्रथम अपीलांट को 04.04.2015 को हुई। अपीलार्थीगण स्व0 श्री घीसाजी की पुत्रिया है और विधि अनुसार उनकी छोडी गई आराजियात में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने तथा उसके बाबत नामान्तकरण खुलवाने की अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा स्व0 श्री घीसा जी की जमीन की खरीद फरोख्त किया जा चुका है और साबिक खसरा नंबर 1375 जिसका हाल नंबर 1280 बना है मौके पर मौजूद है अतः यह अपील मात्र इसी खसरा नंबर तक के लिये प्रस्तुत की जा रही है। अपील नामान्तकरण संख्या 216 की जानकारी की तिथि दिनांक 04.04.2015 जिसकी नकल दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त हुई से अन्दर मियाद है फिर भी माननीय न्यायालय कोई देरी अपील प्रस्तुती में होना मानती है तो उसको क्षमा किये जाने के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि अपीला स्वीकार फरमाई जा कर नामान्तकरण 216 दिनांक 24.12.1997 को खसरा नंबर 1375 साबिक जिसके हॉल नंबर 1280 बने है कि सीमा तक निरस्त फरमाया जा कर अपीलार्थीगण का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट 2 से 3/4 की ओर से श्री विवेक पाराशर अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री एस.एन.देवडा अधिवक्ता उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ड सख्या 1 से 2 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि स्वयं अपीलान्ट द्वारा अपील के पृष्ट संख्या 2 के पैरा संख्या 1 में वर्किंग खसरा नम्बर 600,647,646 एवं 596 के सबंध में मूल खातेदार मंगल सिह के स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.1.91 तथा उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाबालिक से बालिक होने सबंध नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 13.2.06 स्वीकृत होना स्वीकार किया गया है परन्तु उक्त नामान्तकरणो को चुनोति दिए बिना ही पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 5.7.2011 को चुनोति दी गई है। जिसके

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज कि जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए । रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से श्री एस.एन.देवडा अधिवक्ता उपस्थित आये । रेस्पोडेन्ट 2 से 3/4 की ओर से श्री विवेक पाराशर अधिवक्तस उपस्थित आये ।

रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस में निवेदन किया गया कि नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 27.12.97 के विरूद्व दिनांक 28.5.2015 को वर्तमान अपील लगभग 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो की एक समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलान्ट द्वारा एक प्रकार से खातेदार घोषित होने का प्रयास किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा याचित अनुतोश हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना नामान्तकरण की समरी कार्यवाही के तहत प्रदान किया जाना उचित प्रतित नही होने से अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपील के पेरा संख्या 7 में स्वीकार किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1375 जिसका हाल खसरा नम्बर 1280 बना है। के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर की भूमि का बेचान होकर मौके पर मौजूद करता है जबकि अपील के साथ स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान खसरा नम्बर 1280 की जमाबंदी सवंत 2068–71 की खाता संख्या 537 नया 464 पुराना के कालम संख्या 4 में किए गए इन्द्राजत अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.56 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का 3429/5600 हिस्से को छोडकर शेष भूमि का विक्रय होकर केतागण के नाम सयुक्त खातेदारी चली आ रही है जिनको विधिवत जानकारी के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा वर्तमान अपील में पक्षकार संयोजित नही किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा विरासत नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 27.12.97 के विरूद्व दिनांक 28.5.2015 को वर्तमान अपील लगभग 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो की एक समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलान्ट द्वारा एक प्रकार से खातेदार घोषित होने का प्रयास किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा याचित अनुतोश हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना नामान्तकरण की समरी कार्यवाही के तहत प्रदान किया जाना उचित प्रतित नही होता है । इस कारण उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामतः उपरोक्त अपील अपीलान्ट सारहीन, भारहीन एवं मयाद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत लोहागल द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण 216 दिनांक 27.12.1997 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे आम इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner